संख्या: 75 /2024/ 7181 /चार-2023

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक: 03 फरवरी, 2024

विषय: जनपद मैनपुरी में सांस्कृतिक केन्द्र एवं संग्रहालय के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ के पत्र संख्या- 3227/ सं0नि0-6(35)/2023-24 दिनांक 14 नवम्बर, 2023 के माध्यम से जनपद मैनपुरी में सांस्कृतिक केन्द्र एवं संग्रहालय के निर्माण कार्य हेतु चयनित कार्यदायी संस्था द्वारा गठित प्रारम्भिक आगणन लागत रू0 3901.34 लाख (रू0 उनतालीस करोड़ एक लाख चौतीस हजार मात्र) के सापेक्ष प्रायोजना, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित एवं व्यय वित्त समिति द्वारा संस्तुत लागत रू0 3800.11 लाख एवं 05 वर्ष तक के अनुरक्षण हेतु रू0 698.93 लाख के अनुमन्य व्यय सहित रू0 4499.04 लाख (5 वर्ष के आपरेशन एण्ड मैनेजमेन्ट के अनुमन्य व्यय सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 250.00 लाख (रू0 दो करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु चालू वित्तीय 2023-24 में निर्गत करने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) संग्रहालय निदेशालय द्वारा प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जायेगी।
(3) संग्रहालय निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा ।
(4) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। संग्रहालय निदेशालय / कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० सम्मिलित न हो ।
(5) सांस्कृतिक केन्द्र में साइंस कल्चर एवं बच्चों की गतिविधियों के लिए इन्टप्रटेशन सेन्टर तथा शापिंग एवं कामर्शियल सेन्टर से संबंधित व्यवस्था की जायेगी।
(6) प्रायोजनान्तर्गत 5 वर्ष के आपरेशन एण्ड मैनेजमेन्ट हेतु रू0 698.93 लाख अनुमन्य किया गया है, जो निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त संग्रहालय निदेशालय द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा।
(7) प्रायोजना में प्रस्तावित इंटीरियर वर्क हेतु रू0 490.59 लाख एवं फर्नीचर हेतु रू0 55.76 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। प्रमुख सचिव, संस्कृति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा। इस समिति द्वारा इसकी आवश्यकता एवं औचित्य के परीक्षणोपरान्त अनुमन्य धनराशि की अधिकतम सीमा तक जो लागत अनुमोदित की जायेगी। तद्नुसार प्रायोजना की लागत संशोधित समझी जायेगी।
(8) प्रायोजना में वाह्य विद्युत संयोजन हेतु एकमुश्त लागत रू0 10.00 लाख को यथावत् अनुमन्य कर दिया गया है। निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व विद्युत संयोजन हेतु विद्युत विभाग से विस्तृत आगणन प्राप्त कर लिया जायेगा तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की जायेगी, जो वास्तविकता के आधार पर देय होगा।
(9) प्रायोजनान्तर्गत बाजार दरों पर प्रस्तावित कार्यों की लागत को इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। अत: क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

करेंगे। संग्रहालय निदेशालय द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

(10) प्रायोजना का निर्माण कार्य सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही प्रारम्भ कराया जायेगा।

(11) प्रायोजना प्रस्ताव/ आगणन का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि की स्थिति में सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना कार्य नहीं किया जायेगा।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व संग्रहालय निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम में अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(13) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व संग्रहालय निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(14) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(15) उक्त परियोजना हेतु मदवार मूल्यांकित लागत का विवरण संलग्न है।

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-106-संग्रहालय -14-जनपद मैनपुरी में संग्रहालय का निर्माण -24-वृहत् निर्माण कार्य मद (अनुदान संख्या-92) के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: ई-7- 474 /दस-2023-24, दिनांक 31 जनवरी, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 75 /2024 / 7181 (1) /चार-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, मैनपुरी, उ0प्र0।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- आहरण एवं वितरण अधिकारी- सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ
9- कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
10- परियोजना प्रबंधक, यूनिट-43, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, फर्रूखाबाद (मुख्या0 कन्नौज)
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in